न्यायालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, ब्यावर।

पीठासीन अधिकारी– हारुन, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्याः 78/2025
सी.आई.एस संख्याः 54/2025
CNR No. RJBE010008192025

1. खुश कुमार पुत्र राजेश कुमार टेकचंदानी, आयु लगभग 17 वर्ष, निवासी हाल कुंदन नगर, अजमेर जरिये अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती सोनी ठाकुर पत्नी राजेश कुमार टेकचंदानी पुत्री श्रीचंद ठाकुर, आयु 52 वर्ष, निवासी पल्लवी अपार्टमेंट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद हाल 294/95 हासीबाई धर्मशाला के पास, आशागंज, अजमेर।

... प्रार्थी/वादी

बनाम

1. श्रीमती मंजू टेकचंदानी पत्नी राजेश कुमार टेकचंदानी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी हाल 39 ए नाथजी मार्ग, गणेशपुरी, कुंदननगर, अजमेर।
2. श्रीमती ज्योत्सना टेकचंदानी पत्नी राहुल टेकचंदानी पुत्री राजेश कुमार टेकचंदानी, निवासी हाल 39 ए नाथजी मार्ग, गणेशपुरी, कुंदननगर, अजमेर।
3. श्रीमती आशा टेकचंदानी पत्नी घनश्यामदास टेकचंदानी, उम्र लगभग 80 वर्ष, निवासी हाल 39 ए, नाथजी मार्ग, गणेशपुरी, कुंदननगर, अजमेर।
4. श्रीमती वीना नानवानी पत्नी तुलसी नानवानी पुत्री घनश्यामदास टेकचंदानी, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 4 ग 7, श्रीराम विहार कॉलोनी, लक्ष्मी ऑटो पार्टस के पास, रिको कार्यालय के पीछे, वैशाली नगर, अजमेर।
5. श्रीमती रेखा जैसवानी पत्नी जगदीश जैसवानी, पुत्री घनश्यामदास टेकचंदानी, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 4/209, विग्नेश बी ब्लॉक, पंचशील नगर, माकडवाली रोड, अजमेर।
6. श्रीमती ममता गुरमुखानी पत्नी धीरज पुत्री घनश्यामदास टेकचंदानी, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी हाल 39 ए, नाथजी मार्ग, गणेशपुरी, कुंदननगर, अजमेर हाल निवासी आस्ट्रेलिया।
7. उप पंजीयक, जरिये उप पंजीयन कार्यालय, ब्यावर जिला ब्यावर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित:–

1. श्री दीपक मूलचंदानी, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/वादी।

2. श्री कृष्ण गोपाल खत्री, अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या 01 व 02.

3. अप्रार्थी संख्या 3 से 06 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

4. राजकीय अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी संख्या 07.

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक: 21.04.2026</u>**

1. प्रार्थी खुश कुमार ने स्वयं की माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती सोनी ठाकुर के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की माता सोनी ठाकुर का अपने पूर्व पति श्री बिनेश गंगवानी से दिनांक 26.02.1995 को विधिवत विवाह विच्छेद हो जाने के उपरांत प्रार्थी की माता अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, इस दौरान वर्ष 2005 श्रीमती सोनी ठाकुर की जान पहचान राजेश कुमार टेकचंदानी से हुई, जो मित्रता से होते हुए जीवनसाथी बनने पर पहुँची और वर्ष 2005 में श्रीमती सोनी ठाकुर तथा राजेश कुमार टेकचंदानी ने मंदिर में एक दूसरे को माला पहनाते हुए विवाह कर लिया। श्रीमती सोनी ठाकुर व श्री राजेश कुमार टेकचंदानी के वैवाहिक सम्बंधों से एक पुत्र खुश कुमार का दिनांक 29.09.2009 को जन्म हुआ, जो कि प्रार्थी है।

2. श्रीमती सोनी ठाकुर व राजेश कुमार टेकचंदानी के विवाह करने से पूर्व राजेश कुमार टेकचंदानी ने श्रीमती सोनी ठाकुर को बताया था कि वह अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती मंजू से विवाहित है तथा उसके एक पुत्री जूही अप्रार्थी संख्या 02 है जो कि वर्तमान में विवाहित है। श्रीमती सोनी ठाकुर व राजेश कुमार टेकचंदानी के विवाह से पूर्व राजेश कुमार टेकचंदानी ने श्रीमती सोनी ठाकुर को अपनी पत्नी श्रीमती मंजू अप्रार्थी संख्या 01 से बहुत ज्यादा परेशान होने व उसके बार बार घर छोड़कर चले जाने के कारण राजेश कुमार अप्रार्थी संख्या 01 से विवाह विच्छेद ले लेगा, और विवाह विच्छेद का आश्वासन देते हुए राजेश कुमार टेकचंदानी ने सोनी ठाकुर से विवाह किया था, लेकिन प्रार्थी की जानकारी के अनुसार प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक तक राजेश कुमार टेकचंदानी ने अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती मंजू से विवाह विच्छेद नहीं किया है। विवाह के उपरांत श्रीमती सोनी ठाकुर एवं राजेश कुमार लगभग 06 माह तक साथ रहे, राजेश कुमार टेकचंदानी से जब भी सोनी ठाकुर, अप्रार्थी संख्या 01 से विवाह विच्छेद होने बाबत पूछताछ करती तो राजेश कुमार टेकचंदानी टालमटोल कर जाता और श्रीमती सोनी ठाकुर को कहता कि वह सब ठीक कर देगा और श्रीमती सोनी ठाकुर को पत्नी के समस्त हक अधिकार दिलवाने

की कहता था। खुश कुमार के बतौर पिता श्री राजेश कुमार टेकचंदानी का नाम जुड जाने के उपरांत श्रीमती सोनी ठाकुर के साथ राजेश कुमार के अन्य परिवारजन के मन में कटुता आ गई और वे लोग श्रीमती सोनी ठाकुर के साथ द्वेषता रखने लगे, खुश कुमार के लगभग 05 वर्ष का होने के उपरांत राजेश का व्यवहार परिवर्तित हो गया तथा आपसी झगडे रोजाना की कलह में परिवर्तित हो गए जिससे दोनों के मध्य वैवाहिक विवाद होना प्रारम्भ हो गये। श्रीमती सोनी ठाकुर के अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण के लिये तथा उनके भविष्य के लिये श्री राजेश कुमार को विधिवत विवाह कर, पत्नी का दर्जा दिये जाने का दबाव डालने पर श्री राजेश कुमार ने श्रीमती सोनी ठाकुर के साथ मारपीट एवं गाली–गलौच करना प्रारम्भ कर दिया, श्रीमती सोनी ठाकुर को राजेश कुमार ने दिखावे के लिये तो अपनी पत्नी बना रखा था, जहां भी जो भी सरकारी दस्तावेज थे, उनमें श्रीमती सोनी ठाकुर के बतौर पति श्री राजेश कुमार टेकचंदानी ने अपना नाम दिया लेकिन सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रम में श्री राजेश कुमार टेकचंदानी द्वारा श्रीमती सोनी ठाकुर को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाता और इस कारण सोनी ठाकुर व राजेश कुमार के मध्य विवाद बढ़ने लगे। राजेश कुमार अपना समस्त गुस्सा श्रीमती सोनी ठाकुर पर निकालने लगा शराब पीकर आना और श्रीमती सोनी ठाकुर के साथ गाली गलौच मारपीट अभद्रता करने लगा। राजेश कुमार टेकचंदानी का श्रीमती सोनी ठाकुर ने जब भी विरोध किया तो राजेश कुमार आत्महत्या कर लेने या उसके बच्चे को मार देने की धमकी देता, श्रीमती सोनी ठाकुर स्वयं के अपनी संतान तथा श्री राजेश कुमार के भविष्य को लेकर चिंतित रहती और श्री राजेश कुमार के किसी भी प्रकार का गलत निर्णय ले लेने की अंदेशा हो जाने से श्रीमती सोनी ठाकुर के मन में डर की भावना बढ़ने लगी, जिस पर श्रीमती सोनी ठाकुर के श्री राजेश कुमार से विधिवत विवाह करने हेतू दबाव बनाना प्रारम्भ किया तो श्री राजेश कुमार ने अप्रार्थी संख्या 01 को तलाक देने से इंकार करते हुए, श्रीमती सोनी ठाकुर को उसके स्वयं व बच्चें के लिये अपना कुंदन नगर वाला मकान श्रीमती सोनी ठाकुर को गिफ्ट कर दिया तथा दिनांक 18.01.2017 को उक्त गिफ्ट डीड को विधिवत पंजीकृत करवाया, जिसमें श्रीमती सोनी ठाकुर को राजेश कुमार टेकचंदानी की पत्नी बताया। राजेश कुमार टेकचंदानी ने दिखावे के लिये अप्रार्थी संख्या 01 के जरिये श्री राजेश कुमार टेकचंदानी व श्रीमती सोनी ठाकुर पर जयपुर में वर्ष 2018 (दो हजार अठारह) में एक घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करवा दिया, जिसमें राजेश

कुमार टेकचंदानी व श्रीमती सोनी ठाकुर को नोटिस प्राप्त होने पर श्रीमती सोनी ठाकुर की सहमति एवं उपस्थिति के बिना, श्री राजेश कुमार टेकचंदानी एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने राजीनामा कर उक्त प्रकरण को खत्म करवा दिया। श्रीमती सोनी ठाकुर को राजेश कुमार केवल अपने हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास करने लगा श्रीमती सोनी ठाकुर के साथ रोजाना के मानसिक व शारीरिक क्रूरता से परेशान होकर एवं श्री राजेश कुमार की धमकियों से परेशान होकर श्रीमती सोनी ठाकुर ने मजबूरन जनवरी 2019 में राजेश कुमार टेकचंदानी के खिलाफ एक मुकदमा माननीय अतिरिक्त जिला दंडनायक शहर, अजमेर के समक्ष दर्ज करवा दिया, जिसमें राजेश कुमार टेकचंदानी ने श्रीमती सोनी ठाकुर से भी राजीनामा करते हुए उक्त प्रकरण को निस्तारित करवा दिया। अप्रार्थीगण सोनी ठाकुर को धमकी देते कि कुंदन नगर वाला मकान वापस लेकर रहेगें और श्रीमती सोनी ठाकुर व उसकी संतान को किसी प्रकार का सामाजिक स्तर प्रदान नहीं करेगें, ना ही राजेश कुमार अप्रार्थी संख्या 01 को तलाक देगा। रोजाना की कलह एवं घरेलू हिंसा से परेशान होकर श्रीमती सोनी ठाकुर ने श्री राजेश कुमार एवं अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती मंजू के खिलाफ एक घरेलू हिंसा का प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06, अजमेर के यहां उनवान श्रीमती सोनी बनाम राजेश के नाम से दर्ज करवाया, उक्त प्रकरण में राजेश व श्रीमती मंजू को नोटिस प्राप्त हो जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। जिस पर माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण संख्या 652/2021 दिनांक 11.01.2022 एक पक्षीय निर्णय श्रीमती सोनी ठाकुर के पक्ष में निस्तारित कर दिया। उसके बावजूद भी श्रीमती सोनी ठाकुर के पुत्र को किसी प्रकार का भरण पोषण या अन्य कोई राशि न दिए जाने पर श्रीमती सोनी ठाकुर ने उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील प्रस्तुत की जो माननीय विशेष जिला न्यायाधीश महोदय महिला उत्पीड़न प्रकरण अजमेर में निस्तारण हेतु विचाराधीन रही। फौजदारी विविध अपील प्रकरण संख्या 60/2022 उनवान श्रीमती सोनी ठाकुर बनाम राजेश विचारण के दौरान श्रीमती सोनी ठाकुर एवं राजेश टेकचंदानी के मध्य 09.11.2023 को राजीनामा हो गया तथा उक्त राजीनामा में राजेश टेकचंदानी ने श्रीमती सोनी ठाकुर व अपने पुत्र खुश कुमार को प्रतिमाह 40000/– रुपये दिए जाने बाबत सहमति दी, जिस आधार पर प्रकरण निस्तारित कर दिया। राजेश कुमार द्वारा नियमित भरण पोषण राशि अदा न किए जाने पर श्रीमती सोनी ठाकुर ने एक वसूली याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की

जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त वसूली याचिका विचाराधीन होने की राजेश कुमार एवं अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती मंजू को जानकारी थी। इसी दौरान राजेश कुमार अहमदाबाद गया हुआ था, जहां दिनांक 05.12.2024 को उसके गिर जाने से वह मूर्छित हो गया तथा कोमा में चला गया। अहमदाबाद अस्पताल में उपचाररत रहने के दौरान राजेश टेकचंदानी का दिनांक 18.12.2024 को देहांत हो गया। राजेश टेकचंदानी के देहांत हो जाने के उपरांत मुखाग्नि एवं अन्य मृत्युपरांत होने वाली सामाजिक रस्मों को बतौर पुत्र प्रार्थी खुश कुमार ने ही पूर्ण किये तथा इसके साथ ही राजेश कुमार ने अपने जीवन काल में भी प्रार्थी खुश कुमार को अपना पुत्र माना एवं उसकी सार संभाल की। इस कारण प्रार्थी खुश कुमार मृतक राजेश कुमार टेकचंदानी का पुत्र होने के कारण बतौर प्रथम श्रेणी का वारिस है। राजेश कुमार टेकचंदानी, प्रार्थी खुश कुमार के पिता थे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में बतौर सेक्शन ऑफिसर कार्यरत थे एवं अपनी सेवाकाल के दौरान ही प्रार्थी के पिता श्री राजेश कुमार टेकचंदानी का देहान्त दिनांक 18.12.2024 को अहमदाबाद में हो गया। प्रार्थी के पिता श्री राजेश कुमार टेकचंदानी हिन्दू थे व हिन्दू धर्म का पालन करते थे। स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी अपनी मृत्युपरान्त निम्न विधिक वारिसान व उतराधिकारी छोड कर गये हैं:– 1. खुश कुमार (पुत्र) 2. श्रीमती मंजू (अप्रार्थी संख्या 1) 3. श्रीमती ज्योत्सना (पुत्री)

3. राजेश कुमार टेकचंदानी की बहन एवं माताजी जो कि अप्रार्थी संख्या 03 से 06 है तथा वह अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 को तो सब कुछ देना चाहती है लेकिन प्रार्थी खुश को कुछ देना नहीं चाहती है तथा अप्रार्थी संख्या 03 के यहां विभागीय लाभ परिलाभ अनुलाभ, जमाराशि, मृत्यपुरांत देय बीमा एवं अन्य राशि सहित अनुकम्पात्मक नौकरी हेतू प्रार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया तो अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थी की बात को सुनने से इंकार कर दिया तथा न्यायालय से उतराधिकार प्रमाण पत्र लाने बाबत निर्देर्शित किया, पश्चातवर्ती क्रम में प्रार्थी द्वारा यह उत्तराधिकार आवेदन श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर, स्व० श्री राजेश कुमार टेकचंदानी के मृत्युपंरात प्राप्त होने वाले समस्त लाभ अनुलाम, पेंशन एवं अन्य जमा राशियों पर स्टे आर्डर प्राप्त किया, जो प्रकरण वर्तमान में भी न्यायालय में विचाराधीन है। उतराधिकार बाबत प्रकरण विचारण के दौरान प्रार्थी की जानकारी में आया है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 आपस में

मिलीभगत करते हुए, स्व. श्री मृतक राजेश कुमार टेकचंदानी के पिता स्व. घनश्यामदास जी पुत्र श्री किशन जी, जिनका देहांत दिनांक 17.09.2016 को हो गया था। श्री घनश्यामदास टेकचंदानी की एक आवासीय सम्पत्ति वाके स्थित 13/189, पंडित मार्केट, डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर में है, उक्त सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग गज में स्थित है, उसको बेचान करने पर आमादा है तथा उक्त सम्पत्ति में प्रार्थी को किसी प्रकार का हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं जबकि प्रार्थी का भी अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 के समान ही उक्त स्व० श्री घनश्यामदास जी की सम्पत्ति में बराबर हक व अधिकार प्राप्त है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 से 06 आपसी मिलीभगत करते हुए उक्त ब्यावर स्थित मकान को बेचान करने तथा प्रार्थी को उसका हक अधिकार न देने पर आमादा है तथा प्रतिवादीगण इस आश्य या उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी अपने हक अधिकारों से वंचित हो जायेगा, उक्त सम्पत्ति के मालिकाना हक अधिकार के दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे व आधिपत्य में है। प्रार्थी के दादाजी घनश्यामदास टेकचंदानी की उक्त सम्पत्ति में बतौर पौत्र वारिस प्रार्थी का समान हक अधिकार है, जिस हक अधिकार की अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 से मांग की गई तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसका हक अधिकार देने से स्पष्ट इंकार कर दिया गया तथा उक्त स्व० घनश्यामदास की आवासीय सम्पत्ति का बेचान करने पर आमादा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या संख्या 01 से 06 पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं। स्व. घनश्यामदास टेकचंदानी ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत किसी के हक में निष्पादित नहीं की है तथा प्रार्थी के दादाजी स्व. घनश्यामदास टेकचंदानी की उक्त सम्पति वाके स्थित 13/189, पंडित मार्केट, डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर में स्थित है, उक्त सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग गज में स्थित है तथा उक्त सम्पत्ति में कुछ समय पूर्व प्रार्थी के पिता ने अपनी आय से कुछ निर्माण एवं मरम्मत का करवाया गया, तथा उक्त सम्पति एक आवासीय संयुक्त सम्पति है, इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थगण का उक्त सम्पति पर संयुक्त रूप से हक अधिकार एवं कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी स्व० घनश्यामदास टेकचंदानी का बतौर पौत्र प्रथम श्रेणी का वारिसान होने के कारण उक्त सम्पत्ति में अपने हक अधिकार को प्राप्त करने का विधितः अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 एवं उसके परिजन मिलकर, आपसी दुराश्य से उपरोक्त सम्पति से प्रार्थी को कोई हक हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तथा सम्पति को अन्यत्र विक्रय करना चाहते हैं, तथा मुख्य रास्ते पर स्थित सम्पति पर दुकानें

बनाकर उनका विक्रय एवं विपणन करना चाहते हैं, तथा उक्त सम्पति से प्रार्थी को बेदखल कर सम्पति को अन्यत्र विक्रय कर दिया जायेगा तो प्रार्थी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तथा उपरोक्त सम्पति में प्रार्थी का भी अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 के समान हिस्सा हक एवं अधिकार है जिससे अप्रार्थीगण दुर्भावनापूर्ण तरीके से बेचान कर प्रार्थी को महरूम करना चाहते हैं, जिसका अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिये जाने पर प्रार्थी अपने विधिक अधिकारों को खो देगा जो कि अप्रार्थीगण की तुलना में कहीं अधिक बढकर होगी तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति को बेचान बाबत पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, तथा विधिवत बंटवारा होने से पूर्व उक्त सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित होने से रोका जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अप्रार्थीगण के दुर्भावनापूर्ण मंशा के चलते प्रार्थी ने एक वाद वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतू माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बाबत पाबन्द करें कि– प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक प्रार्थी को इस प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 16 व 19 में वर्णित सम्पति वाके स्थित 13/189, पंडित मार्केट, डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर परिसर का बिना किसी अवरोध, बाधा अडचन के उपयोग उपभोग करने दे, उसके शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण स्वयं, परिजन, अपने कर्मचारी, एवं अन्य किसी व्यक्ति के जरिये किसी प्रकार की अडचन बाधा आदि उत्पन्न न करें, प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति से वंचित न करे एवं उक्त सम्पति से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें। उक्त सम्पति के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, ना ही उक्त सम्पत्तिं को अन्य किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बय, बेचान, भारित नहीं करें, अथवा अन्य किसी अविधिक तरीके से कब्जा, हस्तांतरण, करें ना ही करावें साथ ही इस बाबत कोई प्रयास नहीं करें। साथ ही अप्रार्थी संख्या 07 उक्त विवादित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अपने यहां प्रस्तुत किये जाने पर पंजीयत न करें। अन्य कोई उचित अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थी को अप्रार्थी से दिलवाया जाये।

4. इसके विरोध में अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त दीवानी विविध प्रार्थना पत्र प्रार्थी खुश कुमार ने अपनी माता

श्रीमती सोनी ठाकुर को राजेश कुमार टेकचन्दानी की पत्नी सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया है, जिस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया है कि राजेश कुमार टेकचन्दानी ने अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही वैध एवं हिन्दू परम्परा अनुसार विवाह रचाया था, जो एक मात्र विवाह राजेश कुमार टेकचन्दानी द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 मन्जू टेकचन्दानी के साथ किया गया था। अप्रार्थी संख्या–1 समाज में राजेश कुमार टेकचन्दानी की विधवा पत्नी के नाम से जानी जाती है एवं राजेश कुमार टेकचन्दानी की मृत्यु के बाद से उनके छोड़ गए सभी दायित्वों को उनके नाम से निभा रही है, वहीं इसी प्रकार राजेश कुमार टेकचन्दानी की केवल एक मात्र संतान अप्रार्थी संख्या 2 ज्योत्सना टेकचन्दानी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जरिए अपनी संरक्षता माता श्रीमती सोनी ठाकुर के माध्यम से अपने आप को स्व. राजेश कुमार टेकचन्दानी के स्वर्गवास के बाद उनकी चल–अचल सम्पत्तियों को अवैध रूप से हासिल करने की नीयत से उनका नाम अपना पिता बताकर दुरुपयोग किया जा रहा है जो कि आपत्तिजनक है। प्रार्थी खुश कुमार ने अपने वाद पत्र में हाल निवासी कुन्दन नगर, अजमेर का पता अंकित किया है जबकि खुश कुमार ने अजमेर के इस पते पर कभी निवास ही नहीं किया है, ना करता है ना ही उसका कुन्दन नगर में रहवास रहा है। प्रार्थी अपनी माता श्रीमती सोनी ठाकुर के साथ अहमदाबाद में टाईटल में वर्णित पते पल्लवी अपार्टमेन्ट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद में निवास करता है, उसकी शिक्षा–दीक्षा अहमदाबाद से हुई है तथा वर्तमान में मूल रूप से अहमदाबाद में ही रह रहा है। राजेश कुमार टेकचन्दानी, जो कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड, अजमेर कार्यालय में कार्यरत थे, द्वारा अपने सर्विस रिकॉर्ड में भी नॉमिनेशन फॉर्म/सर्विस रिकार्ड में अप्रार्थीया संख्या–1 मन्जू टेकचन्दानी को बतौर पत्नी एवं अप्रार्थिया संख्या–2 ज्योत्सना टेकचन्दानी को पुत्री नोमिनेट किया हुआ है। प्रार्थी खुश कुमार की माता श्रीमती सोनी ठाकुर अपने पति बिनेश गंगवानी से तलाकशुदा है, जिनका तलाक वर्ष 1995 में हुआ था, जिनसे उनको एक पुत्री भी है जिसका नाम अंजुल गंगवानी है। श्रीमती सोनी ठाकुर ने अप्रार्थीगण के पति/पिता को हनी ट्रैप में फंसाने के बाद मृतक राजेश कुमार टेकचन्दानी का इमोशनल एवं आर्थिक रूप से शोषण करने के साथ–साथ अप्रार्थीगण का जीवन पूरी तरह से तहस–नहस कर दिया। श्रीमती सोनी ठाकुर, राजेश कुमार टेकचन्दानी की मृत्यु उपरान्त विभाग में जमा राशियों, बीमा पॉलिसियों, बैंक खातों एवं अनुकम्पना नियुक्ति को अपने पुत्र खुश कुमार को

माध्यम बनाते हुए प्राप्त करने वास्ते लगातार चाराजोही कर रही है जिसके लिए प्रार्थी खुश कुमार को माध्यम बनाते हुए वर्तमान दीवानी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। श्री राजेश कुमार टेकचन्दानी की पेंशन की एकमात्र हकदार अप्रार्थी संख्या 1 है, एवं अपने पिता के स्थान पर अनुकम्पना नियुक्ति की हकदार उनकी एकमात्र संतान/पुत्री जवाबकर्ता अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती ज्योत्सना टेकचंदानी है। अप्रार्थीगण के पिता/पति की समस्त सम्पत्तियों पर हक उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान का बनता है जिसमें अप्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थीया संख्या–3 श्रीमती आशा टेकचंदानी हैं जो कि मृतक राजेश कुमार टेकचन्दानी की माता हैं व उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस की श्रेणी में आती हैं। उक्त तीनों के अलावा राजेश कुमार टेकवन्दानी की चल एवं अचल सम्पत्तियों पर किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई हक, अधिकार या सरोकार नहीं बनता है। श्रीमती सोनी ठाकुर का कथन कि प्रार्थी खुश कुमार मृतक राजेश कुमार टेकचन्दानी की अवैध संतान (illegitimate child) है, पर भी अप्रार्थीगण को विशेष आपत्ति है। इस तथ्य को प्रार्थी ठोस मेडिकल दस्तावेजों (डी.एन.ए. रिपोर्ट आदि) से स्वयं से सिद्ध करें कि प्रार्थी मृतक राजेश कुमार टेकचन्दानी की अवैध संतान है।

5. अपने जवाब दावें के आगामी चरणों में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों का बिन्दुवार जवाब पेश किया है, जिसमें मुख्य रूप से यह कथन अंकित किए हैं कि श्रीमती सोनी ठाकुर द्वारा श्री राजेश कुमार टेकचन्दानी से कथित तौर पर माला पहनाकर विवाह रचा जाना प्रथम दृष्टया ही हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के विपरीत था जो कि विधि की दृष्टि से वैध विवाह की श्रेणी में नहीं आता है वहीं वास्तव में यदि ऐसा कोई कृल्य श्रीमती सोनी ठाकुर ने रचा भी था तो वह मात्र हनी ट्रैप था, जिसका फायदा प्रथम दिन से ही श्रीमती सोनी ठाकुर द्वारा श्री राजेश कुमार टेकचन्दानी के सम्पर्क में आने के बाद से ही उठाया जाना शुरु कर दिया था। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन अंकित किए है कि राजेश कुमार टेकचन्दानी अहमदाबाद गए हुए थे तथा वहां वह अपनी बुआ के तीये की बैठक अटैण्ड करने के पश्चात दिनाक 05.12.2024 को गिर गए व मूर्छित हो गए कथन तो सही है। उक्त घटना दिनांक 05.12.2024 की न होकर दिनांक 02.12.2024 की है। जब राजेश कुमार टेकचन्दानी अहमदाबाद स्टेशन पर अजमेर आने के लिये पहुंचे तो यहां मूर्छित हो गए, चूंकि वे अकेले अहमदाबाद गए हुए थे तो उस समय

वहां उनके साथ अप्रार्थी संख्या–1 मौजूद नहीं थी, परन्तु उनकी तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही अप्राथर्थी संख्या–1 अपने दामाद व बेटी (अप्रार्थी संख्या–2) सहित अहमदाबाद पहुंचे थे। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है कि श्री राजेश कुमार टेकचन्दानी अहमदाबाद अस्पताल में 15 दिवस तक उपचार में रहे हो, अपितु वे अहमदाबाद में 17 दिनों तक अस्पताल में इलाजरत रहे थे, इससे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी को उक्त तथ्यों की जानकारी ही नहीं है व उसका सम्पूर्ण वाद पत्र कपौल काल्पनिकताओं पर आधारित है।

6. बहस पत्रावली सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी का तर्क है कि वादी स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी एवं माता/प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती सोनी ठाकुर के लिव इन relationship से पैदा हुआ बच्चा है, जो स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी के नुत्फ़े से पैदा हुआ है। अतः उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति में वादी का right, title and interest है तथा उस सम्पत्ति तक वादी बतौर legal heir (एलआर) सम्पत्ति में succeed करने का अधिकार रखता है। प्रतिवादी/अप्रार्थीगण वादी को उसका हिस्सा देने से मना कर रहे हैं, इसलिए वादी ने यह वाद न्यायालय में दायर किया है, जिसके कामयाब होने के प्रबल आधार दावे में मौजूद हैं।

8. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि ऐसा कोई बच्चा जो मां–बाप के सहवास से पैदा हुआ है, भले ही उनकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन उस बच्चे को illegitimate child नहीं कहा जा सकता है। कानून में यह fiction दिया हुआ है, जो धारा 16 हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 में उपलब्ध है। पक्षकारान् हिंदू विवाह अधिनियम से शासित होते हैं। अगर उनकी शादी null and void भी है तब भी बच्चा legitimate कहलाएगा और मां–बाप की सम्पत्ति में अधिकार पाने का हकदार होगा। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति को बेचने पर उतारू हैं, इसलिए यह वाद न्यायालय में दायर किया गया है और प्रतिवादीगण सम्पत्ति को वाद के दौरान बेचने में कामयाब हो जाते हैं या सफल हो जाते हैं, तो सम्पत्ति के खुर्द–बुर्द होने की पूर्ण संभावना है और multiplicity of proceedings बढ़ने की पूर्ण संभावना है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इस वाद के साथ ऐसा दस्तावेज संलग्न है, जो प्रथमदृष्टया यह जाहिर करता है कि स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी ने अपने जीवनकाल में वादी की माता को बतौर पत्नी अपने साथ रखा और उनको recognize किया। बेशक इनकी हिंदू रीति–रिवाज से शादी सम्पन्न नहीं हुई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी की मृत्यु के उपरांत सारे क्रियाक्रम भी वादी और उसकी माता ने किए, जिसके भी दस्तावेज वाद के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। वादी के स्कूल (सेंट एंसलम स्कूल) के identity card कार्ड में पिता का नाम राजेश कुमार टेकचंदानी दर्ज है और अपने जीवनकाल में राजेश कुमार टेकचंदानी ने वादी की मां को एक मकान गिफ्ट डीड दिनांक 18.01.2017 को देकर पंजीकृत करवाया था। उसमें भी उनको अपने पत्नी के तौर पर सम्बोधित किया है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न, अजमेर से दिनांक 09.11.2023 को एक घरेलू हिंसा के आदेश में वादी की मां सोनी ठाकुर और राजेश कुमार टेकचंदानी के वाद में एक निर्णय में पारित हुआ, जिसमें अप्रार्थी राजेश को प्रार्थिया सोनी ठाकुर और उसके पुत्र खुश को प्रत्येक माह 40,000/– रुपये शिक्षा व भरण–पोषण हेतु दिए जाने के आदेश बतौर राजीनामा के आधार पर दिए गए, जो यह जाहिर करता है कि अपने जीवनकाल में ही स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी ने वादी की मां सोनी ठाकुर को बतौर पत्नी रखा था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रकरण का balance of convenience भी वादी के हक में है और अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को सम्पत्ति को alienate करने से रोका नहीं गया, तो वादी/प्रार्थीगण को जो हानि होगी उसकी रुपयों से भरपाई होना संभव नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. **Kattukandi Edathil krishan & Anr. Vs Kattukandi edathil valsan & Ors. Civil Appeal No (S). 6406–6407 of 2010**
2. **Raja Gounder and others Vs M. Sengodan And others Civil Appeal No of 2024 @ SLP (C) NO. 13486 of 2007**

11. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/अप्रार्थी का तर्क है कि वादी के वाद पत्र में यह तथ्य दर्ज है कि वादी खुश कुमार राजेश कुमार टेकचंदानी एवं उसकी माता सोनी ठाकुर के live–in relationship से पैदा हुई संतान है। चूंकि स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी पूर्व में शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं, तो यह इनके relationship से पैदा हुआ बच्चा है, जिसका कानून में कोई हक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 16 हिंदू विवाह अधिनियम को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(J) को भी साथ में ही पढ़ा जाएगा। साथ ही धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को भी देखा जाएगा। प्रार्थी/वादी को प्रथमदृष्टया केस साबित करना आवश्यक है। अतः ऐसा कोई आधार इस वाद में मौजूद नहीं है, जो भी दस्तावेज वादपत्र के साथ लगाए हैं, वे सब self–created document हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अगर स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी ने वादी की माता को कोई मकान गिफ्ट कर दिया तो वह भी वादी की माता को बतौर पत्नी स्वीकार करना नहीं माना जा सकता है। चूंकि एक बार शादी होने के उपरांत दूसरी शादी का हिंदू विवाह अधिनियम में कोई महत्व नहीं है। धारा 05 हिंदू विवाह अधिनियम स्पष्ट रूप से यह प्रस्तावित करती है कि अगर दो हिंदुओं के बीच विवाह निष्पादित तभी किया जाएगा, तब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में न तो नर की कोई जीवित पत्नी हो और ना ही वधु का कोई जीवित पति हो। अगर किसी भी पक्षकार के पास जीवित पति/पत्नी है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता है और दूसरी शादी की कोई वैधता नहीं है। ऐसा relationship का कानून में कोई महत्व नहीं है। यह शादी null and void है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि वादी ने सम्पूर्ण सम्पत्ति जो ancestral (पूर्वज) की सम्पत्ति है, उस पर भी निषेधाज्ञा मांगी है। जबकि ऐसी औलाद जो illicit relationship से पैदा हुई है, उसका ancestral property में कोई right नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 3(J) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यह प्रावधान करती है कि illegitimate बच्चा है, वह सिर्फ माता से ही related माना जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट धारा 08 में half blood child का कोई जिक्र नहीं है और सेक्शन 18 में full blood जो एक माता–पिता की संतान है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, half blood को नहीं दी जाएगी। इसलिए उनका कोई right, title and interest नहीं बनता है। वादी का कोई interest in title केवल उसके माता–पिता की सम्पत्ति में

बनता है। Ancestor प्रोपर्टी में उसका कोई हक नहीं बनेगा। स्कूल रिकॉर्ड में राजेश कुमार टेकचंदानी का नाम पिता के कॉलम में लिखवा देने से यह नहीं माना जा सकता है कि वह वादी का पिता वही है। वादी को यह साबित करना आवश्यक है कि वादी माता–पिता की valid marriage से उत्पन्न संतान है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **"इंद्र शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा"**, निर्णय दिनांक 26.11.2013 पेश कर तर्क दिया है कि सेक्शन 2(Q) ऑफ द डी.वी. एक्ट में इस न्यायिक दृष्टांत में वह रिश्ते प्रस्तावित की गई हैं, जहां वह relationship in the nature of marriage define किए गए हों, लेकिन शादीशुदा औरत और शादीशुदा मर्द का "illicit relationship" in the nature of marriage इस न्यायिक दृष्टांत में परिभाषित नहीं है। वह शादी के स्कॉप से बाहर है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि वादी के हक balance of convenience नहीं है, बल्कि balance of convenience प्रतिवादीगण के हक में है, क्योंकि प्रतिवादीगण ही असल वारिसान है और वैध शादी से पैदा हुए बच्चे हैं और उनकी मां है तथा सेक्सन 08 हिंदू सक्सेशन एक्ट के first कैटेगरी के लीगल heir की परिभाषा में आते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अगर वादीगण के हक में सम्पत्ति पर स्टे या रोक लगाई जाती है और वादी के हक में कोई आदेश पारित किया जाता है, तो इससे प्रतिवादीगण ज्यादा आहत होंगे तथा ज्यादा नुकसान होगा। प्रतिवादीगण को हुई हानि को रुपयों से compensate नहीं किया जा सकता है, इसलिए भी वादी के हक में स्टे ग्रांट नहीं किया जावे, जब तक वादी प्रथमदृष्टया यह साबित नहीं कर देते हैं कि वे स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी के नुत्फ़े से पैदा हुआ है, तब तक वह self–acquired property (स्व–अर्जित सम्पत्ति) में भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. Revanasiddappa & Anr. Vs Mallikarjun & Ors., Civil Appeal No 2312 of 2021
2. Indra Sarma Vs V.K.V. sarma Criminal Appeal No. 2009 of 2013 @ Special leave petition (CRL.) No 4895 of 2012

12. मैंने पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया एवं तथ्यों पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सादर अवलोकन किया गया। वादी के कथनानुसार वादी का जो केस है, वह दूसरी शादी से उत्पन्न बच्चे का नहीं है, बल्कि शादीशुदा आदमी एवं एक शादीशुदा महिला (तलाकशुदा) के live in relationship में रहने से पैदा हुए बच्चे का है, वादी का यह अभिवचन है तथा यह स्वीकृत तथ्य है। स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी शादीशुदा था, उनकी पत्नी व बच्चे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 3 जजों के Revanasiddappa & Anr Vs Mallikarjun & Ors. Supreme Court, Civil App. No. 2844/2011 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "For the purpose of ascertaining the interest of a deceased Hindu Mitakshara coparcener, the law mandates the assumption of a state of affairs immediately prior to the death of the coparcener namely, a partition of the coparcenary property between the deceased and other members of the coparcenary. Once the share of the deceased in property that would have been allotted to him if a partition had taken place immediately before his death is ascertained, his heirs including the children who have been conferred with legitimacy under Section 16 of the HMA 1955, will be entitled to their share in the property which would have been allotted to the deceased upon the notional partition, if it had taken place; and"

"The provisions of the HSA 1956 have to be harmonized with the mandate in Section 16(3) of the HMA 1955 which indicates that a child who is conferred with legitimacy under sub–sections (1) and (2) will not be entitled to rights in or to the property of any person other than the parents. The property of the parent, where the parent had an interest in the property of a Joint Hindu family governed under the Mitakshara law has to be ascertained in terms of the Explanation to sub–section (3), as interpreted above." अन्य न्यायिक दृष्टांत "**The Supreme Court of India in case titled Raja Gounder and Others Versus M. Sengodan and**

Others, 2024 INSC 47" निर्णय दिनांक 19.01.2024 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि While construning the provisions of Section 3(j) of the HSA, 1956 including the proviso, the legitimacy which is conferred by Section 16 of the HMA, 1955 on a child born from a void or, as the case may be, voidable marriage has to be read into the provisons of the HSA, 1956. In other words, a child who is legitimate under sub–section (1) or sub–section (2) of Section 16 of the HMA would, for the purposes of Section 3(j) of the HSA, 1956, fall within the ambit of the explanation "related by legitimate kinship" and cannot be regarded as an "illegitimate child" for the purposes of the proviso.

13. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क है कि चूंकि सोनी ठाकुर को दूसरी शादी नहीं हुई वादी खुश कुमार live in relationship से पैदा हुआ बच्चा है, वह सिर्फ पिता की प्रोपर्टी में ही अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए अधिकारी है और यह सम्पत्ति ancestral सम्पत्ति है, इसलिए उसमें अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जो तर्क दिया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। हालांकि इस स्तर पर दावे के निर्णय हेतु विचारण के पश्चात् ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। धारा 06 हिंदू सक्सेशन एक्ट संशोधन (2005) कानून के अनुसार जहां किसी हिन्दू की, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पश्चात् मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की सम्पत्ति में उसका हित, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकारी द्वारा न्यागत हो जाएगा, परंतु उत्तरजीविता के आधार पर नहीं और सहदायिकी सम्पत्ति इस प्रकार विभाजित की गई समझी जाएगी मानो विभाजन हो चुका था। सम्पत्ति में घनश्याम दास की मृत्यु होने के उपरांत 2016 में succession open हुआ। succession open होने के उपरांत संयुक्त हिंदू कुटुम्ब की सम्पत्ति संयुक्त नहीं रहकर intestate succession से घनश्यामदास के उत्तराधिकारियों पर आई, जिसमें राजेश कुमार भी था, तो राजेश कुमार के पास जो सम्पत्ति आई, वह संयुक्त सम्पत्ति न होकर उनका डिवाइडेड शेयर माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि विभाजन हो चुका है। राजेश कुमार की मृत्यु 2024 में हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन न्यायिक दृष्टांतों में Raja Gounder

Supra एवं Revanasiddapa Supra में इन दोनों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि illegitimate child पिता की सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। दोनों न्यायिक दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा तीन जजों की बेंच द्वारा किया गया है, के अनुसार सम्पत्ति को दौराने वाद बेचान न करने के संबंध में पूर्ण होना आवश्यक है। न्यायालय को निम्न बिन्दुओं पर विचार करना हैः– 1. प्रथमदृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूरणीय क्षति।

1. प्रथमदृष्टया मामलाः–

14. वादी को अपने वादपत्र एवं संबंधित दस्तावेज से यह साबित करना आवश्यक है, जिससे यह परिलक्षित हो कि वादी के हक में प्रथम दृष्टया मामला है। प्रथमदृष्टया मामले से अभिप्रायः है, केस को आगे के ट्रायल की आवश्यकता है। वादी के द्वारा जो भी उक्त दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे सभी साक्ष्य का विषय है और साक्ष्य से ही साबित किए जा सकते हैं, जिसमें वादी को स्वयं के स्कूल के दस्तावेजों में स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी का पुत्र दिखाया हुआ है। न्यायालय के एक आदेश घरेलू हिंसा के संबंध में भी है, जो दिनांक 09.11.2023 का है, जो वादी की मां सोनी ठाकुर और स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी के संबंध में है। हालांकि घरेलू हिंसा का जो केस है वह सिर्फ maintenance की हद तक है तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत में live–in relationship में रहना वाला कपल अगर पर्मानेंट रहने का आशय है और बाद में कोई विघटन होता है और वह साथ में रहे हैं और relationship Permanent nature का हो, तो महिला को maintenance दिया जा सकता है। वादग्रस्त सम्पत्ति स्व–अर्जित सम्पत्ति है या ancestral सम्पत्ति है, यह साक्ष्य का विषय है, जिसका निस्तारण दोनों पक्षों की साक्ष्य के उपरांत ही मैरिट के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचन और अन्य दस्तावेज यह जाहिर करते हैं कि वादी के हक में प्रथमदृष्टया केस है। केस में ट्रायल की आवश्यकता है, यह गुणावगुण के आधार पर ही किया जा सकता है। अतः यह सिद्धांत है। वादी के हक में सुनिश्चित किया जाता है।

सुविधा का संतुलन (Balance of convenience):–

15. Balance of convenience किस पक्षकार के पक्ष में है, यह दोनों पक्षकारों की बहस सुनने तथा तथ्यों पर मनन करने के उपरांत यह परिलक्षित होता है कि वादी,

मृतक राजेश कुमार की सम्पत्ति में हिस्सा मांग रहा है, स्कूल के जो साक्षी है तथा स्कूल से संबंधित जो दस्तावेज है, जिसमें वादी को स्व. राजेश कुमार टेकचंदानी का पुत्र दर्शाया हुआ है, इसकी सत्यता की जांच सिर्फ साक्ष्य से होगी। अन्य जो भी दस्तावेज पेश किए हैं, वह भी साक्ष्य का विषय हैं और यह कानूनी पहलु है कि क्या live–in relationship से उत्पन्न हुए पुत्र, जहां पूर्व में पुरुष शादीशुदा हो और उसके बच्चे हों तथा वह पिता की सम्पत्ति में हक पाने के लिए कोई अधिकार रखते हैं या नहीं। न्यायिक दृष्टांत **revanasiddappa & Anr Vs Mallikarjun & Ors. Supra** दूसरी शादी के संबंध में व्यवस्था की गई है, लेकिन धारा 16(3) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 3(J) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तथा धारा 08, 10 हिंदू उत्तराधिकार के अवलोकन से सामंजस्य स्थापित करने के उपरांत वादी की जो illegitimate kinship किस श्रेणी में आती है और वादी को यह साबित भी करना होगा कि वादी राजेश कुमार टेकचंदानी के नुत्फ़े से पैदा हुआ पुत्र है, जबकि प्रतिवादीगण राजेश कुमार टेकचंदानी के कानूनी वारिसान है, इस संबंध में कोई शक–ओ–शुबहा नहीं है और सम्पत्ति पर कब्जा भी प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। अतः balance of convenience प्रतिवादीगण के पक्ष में नजर आता है। वादीगण के पक्ष में नजर नहीं आता है। यह जो सिद्धांत है, वह वादी के विरुद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में है।

<u>अपूरणीय क्षतिः–</u>

16. अगर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो क्या वादी को क्षतिपूर्ति पैसों से की जा सकती है? न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी सम्पत्ति जो दौराने वाद बेचान कर दिया जाता है, तो वह कानून में धारा 52 TP Act के अंतर्गत आती है और पक्षकारान् को उसी स्थित में restore किया जा सकता है, जहां वे पूर्व में थे। प्रतिवादीगण विवादित सम्पत्ति में settled possession में है। वादी ने सम्पूर्ण सम्पत्ति के बेचान करने के विरुद्ध स्टे मांगा है, जबकि धारा 16(3) हिंदू विवाह अधिनियम एवं धारा 03(J) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अवलोकन से यह साफ है कि दूसरी शादी से पैदा हुआ बच्चा legitimate की श्रेणी में आता है, लेकिन live–in relationship से बच्चा पैदा हुआ, यह जब तक साबित नहीं हो जाता और इसके लिए कोई पुख्ता प्रमाण पत्र पेश नहीं कर दिए जाते तथा प्रतिवादीगण जो कानूनी वारिसान होकर वादग्रस्त सम्पत्ति में पूर्व से ही कब्जे में

चले आ रहे है। अगर उनके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो उनको अपूरणीय क्षति कारित होगी। इस स्थिति में जहां वादी स्वयं पूर्व में शादीशुदा व्यक्तियों के द्वारा live in relationship से उत्पन्न संतान का कथन करता है, जिसको भी साबित किया जाना बकाया है, तो ऐसी स्थिति में वादी के हक में यह सिद्धांत भी अपूर्ण है। अतः उक्त बिंदु वादी के विरुद्ध तय किया जाता है।

17. चूंकि प्रार्थी/वादी अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु बनना स्थापित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

18. अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. **अस्वीकार** कर **खारिज** किया जाता है।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

19. आदेश आज दिनांक **21.04.2026** को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

PAWAN
Steno Grade III
"Authenticated Document"
Digitally signed by PAWAN
Date: 2026.04.22 11:31:48 +0530